न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 25/2018

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट–**

अपीलांट–

1. अर्जुनसिंह पुत्र दीपसिंह राजपूत
2. रूगसिंह पुत्र दीपसिंह राजपूत

निवासीयान दानजी की होदी (बीदासर) तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट–

1. जोगराजसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत निवासी दानजी की होदी (बीदासर) बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार बाड़मेर
3. अंतर कंवर पुत्री भंवरसिहं राजपूत निवासी दानजी की होदी (बीदासर) तहसील व जिला बाड़मेर
4. किशनचंद पुत्र गुरूनालमल जाति सिंधी निवासी अग्रवालों का मौहल्ला, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2011 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1व4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री हितेश गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 30.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम बीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 637, 638, 2341/608 कुल रकबा 92–13 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 12.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 637, 638, 2341/608 कुल रकबा 92–13 बीघा भूमि के खातेदारान जोगराजसिंह वल्द कानसिंह, अर्जुनसिंह रूगसिंह पि. दीपसिंह,

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जड़ाव कंवर पत्नी स्व. दीपसिंह, भंवरसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार ने दिनांक 12.12.2011 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी बाड़मेर आगौर द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2015 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 व 4 एवं 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 1 व 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा वीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 637, 638, 2341/608 कुल रकबा 92–13 बीघा मे स्थित है। जिसमें अपीलांट्स एंव उतरदाता संख्या 03 का हिस्सा 1/2 था जिस अनुरूप अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 01 बाहामी तौर पर किये गये बंटवाडा के आधार पर काबिज है और काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि बाड़मेर से आकाशवाणी दानजी की होदी व गौपाल गौशाला की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है और अपीलांट्स व उतरदाता की खसरा नंबर 638 की भूमि लगभग 1544 फीट रोड़ पर आती है जिसके अनुसार अपीलांट्स 1/2 हिस्सा की भूमि लगभग 773 फीट सड़क पर काबिज है और शेष 1/2 हिस्से की भूमि 772 फीट पर उतरदाता काबिज है। वर्ष 2011 मे पक्षकारान ने अपने परिवार कर सहखातेदारी की भूमि का बढते परिवार को मध्यनजर व भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद एवं तनाजा न हो इस तथ्य को ध्यान मे रखकर संयुक्त खातेदारी भूमि को सहमति से पृथक करवाने का आपस में बैठ कर निर्णय लिया था जिसके अनुरूप पक्षकारान ने दिनांक 12.12.2011 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी की भूमि उक्त खसरो का सहमति एग्रीमेन्ट पेश किया जिसमें उतरदाता ने अपीलांट्स से छिपा कर व राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजी का राजस्व नक्शा जिसमें अपीलांट्स को 1/2 हिस्से के अनुरूप 772 फीट भूमि मुख्य सड़क पर आती थी का गलत तरीके से अपीलांट्स के हिस्से में मुख्य सड़क पर आने वाली भूमि मे केवल 588 फीट तक ही राजस्व नक्शे मे रंग भर कर गलत तरीके से मुख्य सड़क की अधिक भूमि नक्शे मे अपने नाम से तरमीम करवा दी और अपीलांट्स प्रारम्भ से ही उतरदाता के विश्वास मे रहे कि उतरदाता ने मुख्य सड़क पर बराबर-बराबर हिस्से अनुरूप रंग भरे है लेकिन उतरदाता संख्या 01 ने साजिशी तरीके से अपीलांट्स को मुख्य सड़क पर आने वाली अधिक भूमि अपने नाम से राजस्व रेकर्ड मे तरमीम करवा दी उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं तथा राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट्स को मुख्य सड़क पर 1/2 हिस्से से कम भूमि दी गई जो गलत है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे व तरमीम के बारे मे ज्ञान अपीलांट को तत्यमय नहीं होने दिया तथा अरबा 20-25 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांट्स के मुख्य सड़क के 1/2 हिस्से की भूमि मे दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब अपीलांट्स ने गलत तरीके से करवाये गये सहमति विभाजन प्रति दिनांक 04.06.2015 को प्राप्त की तथा अपीलांट्स को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट्स ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र पेश हैं।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा वीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 637, 638, 2341/608 कुल रकबा 92-13 बीघा भूमि के खातेदारान जोगराजसिंह वल्द कानसिंह, अर्जुनसिंह रूगसिंह पि. दीपसिंह, जड़ाव कंवर पत्नी स्व. दीपसिंह, भंवरसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार ने दिनांक 12.12.2011 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी बाड़मेर आगौर द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के [illegible] का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है [illegible] अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमति तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारो के सहमति के आधार पर विभाजन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 व 4 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा वीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर के खसरा नंबर 637, 638, 2341/608 कुल रकबा 92–13 बीघा भूमि के खातेदारान जोगराजसिंह वल्द कानसिंह, अर्जुनसिंह रूगसिंह पि. दीपसिंह, जड़ाव कंवर पत्नी स्व. दीपसिंह, भंवरसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार ने दिनांक 12.12.2011 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी बाड़मेर आगौर द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2015 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट्स को 1/2 हिस्से के अनुरूप 772 फीट भूमि मुख्य सड़क पर आती थी का गलत तरीके से अपीलांट्स के हिस्से में मुख्य सड़क पर आने वाली भूमि मे केवल 588 फीट तक ही राजस्व नक्शे मे रंग भर कर गलत तरीके से मुख्य सड़क की अधिक भूमि नक्शे मे अपने नाम से तरमीम उतरदाता के नाम से करने के जो आदेश पा[illegible] करने का आदेश फरमावे। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्र[illegible] कि उपरोक्त कृषि जोत के विभाजन का सहमति पत्र [illegible] है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार का[illegible] विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सह[illegible] विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब जमीनों की कीमतों में वृद्धि हो जाने तथा नियत में फर्क आने से रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर 2016(1)आरआरटी 258 प्रस्तुत की गई जिसमें आपसी सहमति से तहसीलदार द्वारा स्वीकृत विभाजन आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होना प्रकट किया गया हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उल्लेखित कारण संतोषप्रद नही होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 4 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:36:14 IST
Reason: SelfAttested